

## सूचना

अत्यन्त महत्वपूर्ण / अति आवश्यक

सेवा में,

समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,  
नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कालेज,  
उत्तर प्रदेश।

विषय: शासनादेश संख्या 409/71-4-2020 दिनांक 25.03.2020 के अनुपालन के  
संबंधी आदेश को स्थगित करने के संबंध में।  
महोदय/महोदया,

उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन को तत्काल प्रभाव से आपके संस्थान में  
अध्ययनरत एम0 एससी0 नर्सिंग/बी0 एससी0 नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी0  
एससी0 नर्सिंग एवं पैरामेडिकल डिग्री प्रोग्राम के प्रशिक्षण केन्द्रों के सभी  
छात्र/छात्राओं को तत्काल उपस्थित होने के लिये निर्देशित किया गया था।

उच्च आदेशों के तहत उपरोक्त भासनादेश द्वारा जारी आदेश को तत्काल  
प्रभाव से स्थगित किया जाता है। अब उपरोक्त प्रशिक्षणों के छात्र/छात्राओं  
को न बुलाया जाये। यदि किसी माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को बुलाने हेतु  
आदेश/निर्देश दे दिये गये हो तो उन्हें निरस्त कर दिया जाये। यथास्थिति  
बनाये रखी जाये।

आज्ञा से,  
सचिव,  
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,  
लखनऊ।